प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– तिलवाड़ा नगर पंचायत पेयजल योजना

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम तिलवाड़ा
तहसील रुद्रप्रयाग, जिला– रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत तिलवाड़ा नगर पंचायत परियोजना के निर्माण हेतु (0.274 हे0 आरक्षित वन भूमि, — हे0 सिविल सोयम भूमि...... हे0, वन पंचायत भूमि 0.96 हे0) अर्थात कुल 1.24 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम रुद्रप्रयाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तिलवाड़ा न0पं0 द्वारा दिनांक 5/10/2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तिलवाड़ा नगर पंचायत के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उ0 पेयजल निगम प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
नगर पंचायत तिलवाड़ा
जनपद-रुद्रप्रयाग

ह0/–
ग्राम प्रधान
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत तिलवाड़ा
जनपद-रुद्रप्रयाग

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 05/10/20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत तिलवाड़ा नगर पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	प्रदीप सिंह भंडारी वार्ड न० 2 (गीड भुतेर) 8979691468	सदस्य (हस्ताक्षर) नगर पंचायत तिलवाड़ा वार्ड न०-2(गीड भुतेर) जनपद रूद्रप्रयाग
2-	शशी देवी वार्ड न० 4 (हटोली मठियाणा) 9759228820	सदस्य शशी देवी नगर पंचायत तिलवाड़ा वार्ड न०-4 जनपद रूद्रप्रयाग
3.	संजय रावत वार्ड न०-1 (रामपुर) 9627457220	(हस्ताक्षर) सदस्य वार्ड न०-01 नगर पंचायत तिलवाड़ा जनपद रूद्रप्रयाग
4	चांदनी देवी वार्ड न० 3 (तिलवाड़ा) 7830272874	Chandni सदस्य नगर पंचायत तिलवाड़ा वार्ड न०-3

ह० (हस्ताक्षर)
ग्राम प्रधान
नगर पंचायत तिलवाड़ा
जनपद-रूद्रप्रयाग

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– तिलवाड़ा नगर पंचायत

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, तिलवाड़ा

उपखण्ड रुद्रप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत तिलवाड़ा नगर पंचायत ———— (0.274 हे0 आरक्षित वन भूमि, — हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि0.16 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.24 हे0 वन भूमि) का उ0 पेयजल निगम रुद्रप्रयाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रुद्रप्रयाग) की दिनांक 08/10/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री बृजेश कुमार तिवारी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री बृजेश कुमार तिवारी उपजिलाधिकारी —— रुद्रप्रयाग ——अध्यक्ष
2– श्री महिपाल सिंह सिरोला उप प्रभागीय वनाधिकारी—— रुद्रप्रयाग ——सदस्य
3– श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी रुद्रप्रयाग सदस्य/सचिव
4– श्रीमती सन्जू जगवाण बी0डी0सी0 क्षेत्र —— अगस्त्यमुनि ——सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि तिलवाड़ा नगर पंचायत पे0यो0 हेतु ———— परियोजना हेतु 1.24 हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रुद्रप्रयाग ———— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड तिलवाड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पेयजल निगम रुद्रप्रयाग परियोजना के निर्माण हेतु 1.24 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग

राजस्व उपनिरीक्षक
रूद्रप्रयाग
तह0 / जिला–रूद्रप्रयाग

28/08/19
तहसीलदार
रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, जनपद रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड अगस्त्यमुनि
रुद्रप्रयाग

जिला पंचायत तिलवाड़ा
जनपद–रुद्रप्रयाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नाम :– तिलवाड़ा नगर पंचायत पेयजल योजना

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद–रुद्रप्रयाग........के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित तिलवाड़ा न० पं०..........परियोजना के निर्माण हेतु 1.234..हे0 वन भूमि पेयजल निगम प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति रुद्रप्रयाग तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ह0/–
जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

राजस्व उपनिरीक्षक
रुद्रप्रयाग
तह0/जिला–रुद्रप्रयाग

28/08/19
तहसीलदार
रुद्रप्रयाग

नोट :– उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।
सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल, पाईपलाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण–पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने हैं। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नाम :– तिलवाड़ा नगर पंचायत पेयजल योजना

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रस्तावित तिलवाड़ा नगर पंचायत पे० परियोजना के निर्माण हेतु 1.24 हे0 वन भूमि पेयजल निगम (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह **(Primitive Tribal Groups)** व आदिकालीन कृषि समुदाय **(Pre Agriculural Tribal Groups)** प्रभावित नही हो रहे हैं।

राजस्व उपनिरीक्षक
रुद्रप्रयाग
तह0/जिला–रुद्रप्रयाग

28/08/19
तहसीलदार
रुद्रप्रयाग

ह0/–
जिलाधिकारी
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग